सीलबंद कवर न्यायशास्त्र

प्रलिमि्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), सीलबंद कवर न्यायशास्त्र।

मेन्स के लयि:

न्यायपालकिा, भारतीय संवधिान, मौलकि अधकिार, मुहरबंद कवर न्यायशास्त्र।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिार सरकार के खलिाफ एक आपराधकि अपील पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक वकील को अदालत में 'सीलबंद कवर रपिोर्ट' प्रस्तुत करने के लयि कहा है।

- बीते कुछ दनिों में वभिन्नि न्यायालयों द्वारा 'सीलबंद कवर न्यायशास्त्र' का प्रायः इस्तेमाल कयि गया है, उदाहरण के लयि राफेल फाइटर जेट समझौता (2018), बीसीसीआई सुधार मामला, भीमा कोरेगाँव मामला (2018) आदि।

'सीलबंद कवर न्यायशास्त्र' क्या है?

- यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी-कभी नचिली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रथा है, जसिके तहत सरकारी एजेंसयिों से 'सीलबंद लफिाफों' में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार कयि जाता है कि केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं।
- यद्यपि कोई वशिष्टि कानून 'सीलबंद कवर' के सद्धिांत को परभिाषति नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के नयिमों के आदेश XIII के नयिम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधनियिम की धारा 123 से उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश XIII के नयिम 7:**
    - नयिम के अनुसार, यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ सूचनाओं को सीलबंद लफिाफे में रखने का नर्दिेश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं, तो कसिी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दे कि वपिरीत पक्ष को इसे एक्सेस करने की अनुमति दी जाए।
    - इसमें यह भी उल्लेख कयि गया है कि सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि इसके प्रकाशन को जनता के हति में नहीं माना जाता है।
  - **वर्ष 1872 के भारतीय साक्ष्य अधनियिम की धारा 123:**
    - इस अधनियिम के तहत राज्य के मामलों से संबंधति आधकिारकि अप्रकाशति दस्तावेज़ों की रक्षा की जाती है और एक सरकारी अधकिारी को ऐसे दस्तावेज़ों का खुलासा करने के लयि मजबूर नहीं कयि जा सकता है।
    - अन्य उदाहरण जहाँ गोपनीयता या वश्विास के तहत जानकारी मांगी जा सकती है, इसका प्रकाशन जाँच में बाधा डालता है जैसे- **वविरण (**Details) जो पुलसि केस डायरी का हस्सिा है।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र से संबंधति मुद्दे:

- **पारदर्शति और जवाबदेही के सद्धिांतों के खलिाफ:**
  - यह भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शति और जवाबदेही के सद्धिांतों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह एक खुली अदालत के वचिार के वरिुद्ध है, जहाँ नर्णिय सार्वजनकि जाँच के अधीन हो सकते हैं।
  - न्याय-नर्णियन की कसिी भी प्रक्रयिा में वशिेष रूप से जसिमें मौलकि अधकिार शामलि हैं, इसके ववािदों से संबंधति साक्ष्य **" दोनों पक्षों के साथ साझा कयि जाने चाहयि।"**
- **दलीलों का दायरा कम करना:**
  - अदालत के फैसलों में स्वेच्छाचारति के दायरे को बढ़ाना, क्योंकि न्यायाधीशों को अपने फैसलों के लयि तर्क देना होता है, जो तब तक नहीं

कयिा जा सकता, जब तक की वे गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारति न हों।
    - आगे इसका वरिोध कयिा जाता है कि जब कैमरे के समक्ष सुनवाई जैसे मौजूदा प्रावधान पहले से ही संवेदनशील जानकारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं तो क्या राज्य को गोपनीयता के साथ जानकारी प्रस्तुत करने का ऐसा वशिेषाधकिार दयिा जाना चाहयि।
- **नष्पिक्ष परीक्षण और न्याय-नरि्णयन में बाधा:**
    - यह भी तर्क दयिा जाता है कि आरोपी पक्षों को ऐसे दस्तावेज़ो तक पहुँच प्रदान नहीं करना उनके नष्पिक्ष परीक्षण और न्याय-नरि्णयन के मार्ग में बाधा डालता है।
- **मनमानी प्रकृति:**
    - सीलबंद कवर **अलग-अलग न्यायाधीशों पर नरि्भर** होते हैं जो सामान्य अभ्यास के बजाय कसिी वशिेष मामले में एक बदिु की पुष्टि करना चाहते हैं। यह **अभ्यास को तदर्थ और मनमाना बनाता है**।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टकिोण:

- **मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने **इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अहरोन बराक द्वारा प्रस्तावति आनुपातकिता के परीक्षण** को अपनाया, जसिके अनुसार **"संवैधानकि अधकिार की एक सीमा संवैधानकि रूप से अनुमेय होगी** यदि:
    - इसे एक **उचति उद्देश्य के लयि नामति** कयिा गया है।
    - इस तरह की सीमा को लागू करने के लयि कयि गए उपाय त**र्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े** हों।
    - **कयि गए उपाय इसलयि आवश्यक** हैं क्योंकि ऐसा कोई वैकल्पकि उपाय मौजूद नहीं है जो समान रूप से उसी उद्देश्य को कम सीमा के साथ प्राप्त कर सके।
    - उचति उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्त्व और संवैधानकि अधकिार की सीमा नरि्धारति करने के सामाजकि महत्त्व के बीच एक उचति संबंध (‘**proportionality stricto sensu**’ **or** ‘**balancing**’) हो।
- **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** मामले में इस बात को दोहराया गया था।
- पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में 2019 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेज़ों का खुलासा करना संवैधानकि रूप से अनविार्य है, भले ही जाँच जारी हो क्योंकि दस्तावेज़ों से मामले की जाँच में सफलता मलि सकती है।
- वर्ष 2019 में INX मीडयिा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन नदिेशालय (ED) द्वारा सीलबंद लफिाफे में जमा कयि गए दस्तावेज़ों के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लयि दलि्ली उच्च न्यायालय की आलोचना की थी।

आगे की राह

- **न्यायकि समीक्षा** की प्रक्रयिा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यपालकिा को जवाबदेह ठहराती है।
- कार्यपालकिा को अपने **कार्यों का दृढ़ता से जवाब देना चाहयि** - वशिेष रूप से तब जब **मौलकि अधकिारों,** जैसे कि स्वतंत्रत अभव्यिक्ति में कटौती की जाती है। भारत का संवधिान कार्यपालकिा को ऐसे **अधकिारों का उल्लंघन करने वाले मनमाने आदेश पारति करने की छूट नहीं** देता है।
- एक न्यायालय जो कसिी भी कार्यकारी कार्रवाई के दौरान मूकदर्शक बना रहता है, वह अपरष्किृत रूप से लोकतांत्रकि वनिाश को दर्शाता है।
- जब कसिी कार्रवाई पर मौलकि अधकिारों को कम करने का आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय आनुपातकिता की दृष्टि से कार्रवाई की वैधता की जाँच करने के लयि बाध्य होता है।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sealed-cover-jurisprudence